

P. 67 -
12-03-74

आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
-------------------------	--------------------------------	---

2/3/21

अतिक्रमण वाद संख्या-52/2012-13
 राम लगन राम एवं अन्य
 बनाम
 जीतेन्द्र कुमार सिंह

यह वाद आवेदक रामलगन राम एवं अन्य ग्राम-कोरगा थाना-रमना जिला-गढ़वा की ओर से माननीय उच्च न्यायालय पटना बेंच राँची द्वारा किमिनल रिभिजन वाद संख्या-1801/72 में पारित आदेश की प्रति के साथ दिया गया आवेदन पत्र पर प्रारम्भ किया गया है ।

विपक्षीगण के लगातार अनुपस्थित रहने एवं वाद के प्रति रूचि नही रहने की स्थिति में आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर एक पक्षीय सुनने के साथ-साथ सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया । आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने वो उनके ओर से प्रस्तुत कागजात तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद का विषय वस्तु अतिक्रमण हटाने से संबंधित है । अभिलेख के साथ संलग्न माननीय उच्च न्यायालय पटना बेंच राँची के किमिनल रिभिजन वाद संख्या 1801 of 1972 में पारित आदेश की प्रति से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश के तहत अनुमण्डल दण्डाधिकारी गढ़वा द्वारा दिनांक 4.8.1972 को पारित आदेश को अपास्त करते हुए वाद को रिमांड किया गया है जिसके आलोक में अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गढ़वा द्वारा मिस० वाद संख्या 200/1972 में दिनांक 30.8.1974 को पारित आदेश के तहत दिनांक 20.9.1974 तक अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया । उक्त पारित आदेश के विरुद्ध रामजन्म सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना बेंच राँची के समक्ष किमिनल रिभिजन वाद दायर किया गया । माननीय उच्च न्यायालय पटना बेंच राँची द्वारा किमिनल रिभिजन वाद संख्या 1530/1974 में पारित आदेश के तहत किमिनल रिभिजन वाद संख्या 1801/1972 में पारित आदेश का संदर्भ करते हुए पुनः अनुमण्डल दण्डाधिकारी को रिमांड किया गया है ।

इस प्रकार प्रस्तुत वाद इस न्यायालय में संधारित होने का कोई औचित्य नही बनता है । साथ ही माननीय उच्च न्यायालय पटना बेंच राँची द्वारा किमिनल रिभिजन वाद संख्या 1530/1974 में पारित आदेश के तहत अनुमण्डल दण्डाधिकारी को रिमांड किया गया है । फलतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को समाप्त किया जाता है ।

लेखापति एवं संशोधित

2/3/21
 उपायुक्त-सह-
 जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा

2/3/21
 उपायुक्त-सह-
 जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा